रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2012/भाद्र 23, 1934
No. 456] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2012/BHADRA 23, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 689(अ).—केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 96 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (3) में "जारी किए गए बैंक ड्राफ्ट" शब्दों के स्थान पर, "वेतन और लेखा अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संदेय जारी किए गए बैंक ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (4) में, "रजिस्ट्रार को संदेय होंगे" शब्दों के स्थान पर, "वेतन और लेखा अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को देय होंगे" शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. 2(1)/2011-एसआईसीएलडीआर]

डॉ. अनीता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2012

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 96 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government here by makes the following rules to amend the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Rules, 2001 namely :—

1. (1) These rules may be called the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (Amendment) Rules, 2012

(2) They shall come into force on the date of their publication.

2.In the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Rules, 2001 in rule 10,—

(a) in sub-rule (3), the words "by the bank draft", the words "by a bank draft payable to the Pay & Accounts Officer, Department of Electronics and Information Technology" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the words "made payable to Registrar", the words "made payable to the Pay & Accounts Officer, Department of Electronics and Information Technology" shall be substituted.

[F. No. 2(1)/2011-SICLDR]

Dr. ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt. Secy.

IndiaCode

3479 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.